www.cbi.gov.in

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो
(सूचना अनुभाग)
5-बी, सी.जी.ओ. कॉम्प्लैक्स,
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

प्रेस विज्ञप्ति
नई दिल्ली, 05.05.2017

सीमा शुल्क के तत्कालीन उपायुक्त एवं दो प्राइवेट व्यक्तियों को कुल 1.20 करोड़ रू. जुर्माने सहित एक से दो वर्ष की कठोर कारावास

सीबीआई मामलों के विशेष न्यायाधीश-।।।, एर्नाकुलम (केरल) ने सीमा शुल्क के तत्कालीन उपायुक्त, एयर कार्गो काम्प्लैक्स, नेदुमबसस्री एयर पोर्ट, एर्नाकुलम श्री के.एस. चन्द्रशेखर को 60 लाख रू. जुर्माने सहित एक वर्ष की कठोर कारावास एवं दो प्राइवेट व्यक्तियों यथा श्री राजू मैथ्यू व श्री जार्ज बस्टीन दोनो मैसर्स मार्स कार्गो एजेन्सीज, कोचीन के साझीदार को 30 लाख रू. प्रत्येक सहित 02 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई।

जॉच से पता चला कि सीमा शुल्क के उपायुक्त, एयर कार्गो काम्प्लैक्स, नेदुमबसस्री एयर पोर्ट, एर्नाकुलम के तौर पर काम करने के दौरान श्री के.एस. चन्द्रशेखर ने श्री राजू मैथ्यू व श्री जार्ज बस्टीन दोनो मैसर्स मार्स कार्गो एजेन्सीज, कोचीन के साझीदार के साथ आपराधिक षड़यंत्र किया और उपयुक्त सीमा शुल्क लगाए बिना ही सामानों को जारी करने के मामले में बिना लोक हित के मैसर्स मार्स कार्गो एजेन्सीज का पक्ष लिया। उक्त षड़यंत्र में आगे, उपायुक्त ने उक्त फर्म के प्रति पक्षपात दर्शाने हेतु इनाम के तौर पर मैसर्स मार्स कार्गो एजेन्सीज के प्रतिनिधियों से मैसर्स बसवेशवारा मन्दिर समिति, सक्लेशपुर, कर्नाटक के पक्ष में सिडीकेट बैंक, अंगमाली शाखा, एर्नाकुलम से ज़ारी डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में 3,79,350 रू. की धनराशि आठ अवसरों पर अवैध रिश्वत आदतन प्राप्त किया। जॉच के पश्चात, आरोपियों के विरूद्ध आरोप पत्र दायर हुआ।

विचारण अदालत ने आरोपी व्यक्तियों को कसूरवार पाया एवं उन्हे दोषी ठहराया।

****